संख्या-20/2021/376/12-5-2021-ब0-3/2018टी0सी0

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः: दिनांक 31 मार्च, 2021

विषयः- इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एस-कैम्प-314/पी0एम0-किसान-विविध/2020-21, दिनांक 24 मार्च, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.1577.19 लाख के सापेक्ष इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार (धनराशि रू.24.00 (रूपया चौबीस लाख) मात्र आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं		
0103-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स	1577.19	24.00
योग	1577.19	24.00

(रूपये चौबीस लाख मात्र)

2- यह धनराशि मात्र वेतन, भत्ते एवं आवश्यक अधिष्ठान मदों पर ही व्यय की जाय। कृषि निदेशक, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगें कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 तथा शासनादेश दिनांक 07-04-2020, 11-04-2020 एवं दिनांक 18-5-2020 के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

7- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशालय का होगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययिता आवश्यक है, अत: वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययिता के संबध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा।

11- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एंव शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टईस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

12- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स के अन्तर्गत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8. यह वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

संख्या-20/2021/376(1)/12-5-2021-ब0-3/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-20/2021/376/12-5-2021-ब0-3/2018, दिनांक 31-03-2021 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति

अनुदान संख्या–11
लेखाशीर्षक–2401– फसल कृषि कर्म
111– कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी
01– केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ
0103– इन्टीग्रेटेड स्कीम आन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स (100 प्रतिशत भारत सरकार की सहायता)।

(धनराशि लाख रू0 में)

भानक मद	वर्ष 2020–21 मे प्राविधान	प्राप्त वित्तीय स्वीकृति	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
01–वेतन	886.50	330.00	0.00
03–महगाई भत्ता	221.63	62.23	0.00
04–यात्रा व्यय	70.00	20.00	0.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	0.00	0.00
06–अन्य भत्ते	0.00	0.00	0.00
08–कार्यालय व्यय	17.00	9.00	5.00
11–लेखन सामग्री और प्रपत्रो की छपाई	17.00	9.00	5.00
15–मो0 गाडी अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि	12.00	7.00	0.00
42–अन्य व्यय	12.00	7.00	5.00
44–प्रशिक्षण व्यय	3.00	0.00	0.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.00	0.00
46–कम्प्यू0 हार्डवेयर/सापटवेयर का कय	14.00	8.00	4.00
47–कम्प्यू0 अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	12.00	7.00	5.00
49–चिकित्सा व्यय	12.00	11.00	0.00
51–वर्दी व्यय	0.05	0.00	0.00
55. मकान किराया भत्ता	87.39	29.00	0.00
56. नगर प्रतिकर भत्ता	9.62	0.77	0.00
58. आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00	0.00	0.00
योग	**1577.19**	**500.00**	**24.00**

(रूपया चौबीस लाख मात्र)

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।